CNR N0 UPBU01-006936-2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बुलन्दशहर।

उपस्थित–ओमप्रकाश वर्मा–III, एच.जे.एस.

जमानत आवेदन संख्या 2552 सन 2026

दीपान्शू चौधरी पुत्र रामकुमार,
निवासी कस्बा व थाना अहमदगढ़, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक–अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 340 सन् 2021
अं0धारा 504, 506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)द अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना अहमदगढ़, जिला बुलन्दशहर।

12.05.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त दीपान्शू चौधरी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 340 सन् 2021, अं0धारा 504, 506 भा0दं0सं0, धारा 3(1)द अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना अहमदगढ़, जिला बुलन्दशहर में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी जमानत हेतु विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है।

वादी मुकदमा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है, किन्तु वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है।

आवेदक की ओर से कथन किया गया है कि वह जमानत पर रिहा होने के पश्चात् लगातार नियत तारीख पर हाजिर अदालत आता रहा है। दिनांक–18.04.2026 को भूलवश उसके विद्वान अधिवक्ता उसका हाजिरी मॉफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस कारण उसके विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी हो गये है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। वह भविष्य में नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। वह उचित जमानत व अण्डरटेकिंग दाखिल करने को तैयार है।

अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

उभयपक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। नियत तिथ को भूलवश उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा हाजिरी मॉफी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसके विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी किये गये, अभियुक्त दिनांक–10.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मतानुसार जमानत हेतु उचित एवं पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दीपान्शू चौधरी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनात्र संख्या 2552 सन 2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को अंकन–20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो नवीन प्रतिभूपत्र दाखिल करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किये जाएः–

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.05.12 18:07:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

CNR N0 UPBU01-006936-2026

1–आवेदक अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

2– अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताडित नहीं करेगा और न हीं साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बी.एन.एस.एस. के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक 12.05.2026

(ओम प्रकाश वर्मा–।।।)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
बुलन्दशहर।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–06142

स्टेनो बोबी कुमार